ग्राम पंचायत नोहली, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी (हिमाचल प्रदेश) के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016

भाग—एक

1 **(क) प्रस्तावनाः—** ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC- (5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत नोहली, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थेः—

प्रधानः—

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री रमेश चन्द	01.04.13 से 22.1.16
2	कुमारी रमा शर्मा	23.01.16 से 31.03.16

सचिवः—

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री गोबिन्द सिंह	01.04.13 से 16.5.15
2	श्री किशोरी लाल	16.5.15 से 31.3.16

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः— ग्राम पंचायत नोहली, विकास खण्ड द्रंग के लेखाओं अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः—

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	9	पंचायत राजस्व की बकाया वसूली	0.30
2	10	अनुदान राशि का उपयोग न करना	10.93
3	11	प्राप्त अनुदान राशि से अधिक व्यय	1.63
4	14	पंचायत निधि अनुचित रूप से हस्तगत रखना	0.09
5	15	पंचायत उप प्रधान द्वारा लगभग 14 माह तक अनुचित रूप से पंचायत निधि को हस्तगत रखना	0.05
6	16	पंचायत निधि का सम्भावित दुर्विनियोजन	0.02
7	17	प्राप्त अनुदान राशि को रोकड़ बही में दर्ज न करना	1.22

8	18	माप पुस्तिकायें अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	0.67
9	19	औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय	2.58

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत नोहली, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विपुल कुमार सूद, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 16.08.2016 से 22.08.2016 तक उक्त ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्नलिखित मासों का चयन किया गयाः–

क्र0सं0	वर्ष	आय की विस्तृत जाँच हेतु चयनित मास	व्यय की विस्तृत जाँच हेतु चयनित मास
1	2013–14	04/2013	01/2014
2	2014–15	05/2014	05/2014
3	2015–16	03/2016	10/2015

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख पर आधारित है। अंकेक्षण को प्रदत्त किसी गलत एवं अपूर्ण सूचना अथवा सूचना/अभिलेख उपलब्ध न करवाये जाने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत नोहली, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी के अवधि 01.04.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000/– (छः हजार मात्र) बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 119/2016 दिनांक 22.08.2016 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत नोहली से अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत नोहली, द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थीः–

(i) स्व स्त्रोत व विभिन्न अनुदान

वर्ष	अथशेष	प्राप्तियाँ			व्यय		
		स्वस्त्रोत	विभिन्न अनुदान	योग	स्वस्त्रोत	विभिन्न अनुदान	अन्तिम शेष
2013–14	238880.26	33192	261575	533647.26	26745	155722	351180.26
2014–15	351180.26	54898	227974	634052.26	38044	209079	386929.26
2015–16	386929.26	86917	688495	1162341.26	76471	177290	908580.26

(परिशिष्ट–1)

(ii) विविध अनुदानः–

वर्ष	अथशेष	प्राप्तियाँ	योग	व्यय	अन्तशेष
2013–14	184306	278778	463084	462047	1037
2014–15	1037	531864	532901	282721	250180
2015–16	250180	262106	512286	362493	149793

(परिशिष्ट–2)

(iii) वाटर शैड

वर्ष	अथशेष	प्राप्तियाँ	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	651335	84268	735603	261915	473688
2014–15	473688	147134	620822	422275	198547
2015–16	198547	30000	228547	192300	36247

(परिशिष्ट–3)

(IV) मनरेगा

वर्ष	अथशेष	प्राप्तियाँ	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	13915.05	2294156.75	2308071.80	2308225.75	(–) 153.95
2014–15	(–)153.95	1668376	1668222.05	1668320	(–) 97.95
2015–16	(–)97.95	3623122	3623024.05	3623122	(–) 97.95

(परिशिष्ट–4)

5 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करनाः–

ग्राम पंचायत नोहली, विकास खण्ड द्रंग की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (बिल बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। दिनांक 31.3.2016 को रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तिम शेष में निम्न प्रकार से अन्तर थाः–

क्र0सं0	रोकड़ बही का नाम	दिनांक 31.3.16 रोकड़ वही का अन्तिम शेष	दिनांक 31.3.16 को बैंक का अन्तिम शेष	अन्तर	टिप्पणी
1	स्व स्त्रोत व विभिन्न अनुदान	908580.26	921221.39	12641.13	**परिशिष्ट "1"**
2	विविध अनुदान	149793.00	157293.00	7500.00	**परिशिष्ट "2"**

अतः इस अनियमितता बारे में उचित स्पष्टीकरण देते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 रोकड़ बहियों में पाई गई विभिन्न अनियमितताओं के सन्दर्भ में:–

ग्राम पंचायत नोहली की रोकड़ बहियों की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का रख रखाव नियमानुसार नहीं किया जा रहा है। रोकड़ बहियों में कई स्थानों पर योगों की गल्तियों के अतिरिक्त शेष को आगामी पृष्ठ पर ले जाते समय भी गल्तियाँ की गई हैं। उदाहरणार्थ मनरेगा रोकड़ बही में माह 02/2014 का अन्तशेष ₹25666.05 था, जबकि 03/2014 का अथशेष ₹22666.05 लिया गया था। इसी प्रकार पृष्ठ 267 पर अथशेष को ₹25471.05 के स्थान पर ₹2881.05 लिया गया था। वाटर शैड रोकड़ बही में माह 04/2014 (पृष्ठ 21) में अथशेष ₹473688/– के स्थान पर ₹486344/– लिया गया है एवं माह 04/2015 में अथशेष 211206/– के स्थान पर ₹200565/–लिया गया है। सामान्य रोकड़ बही में ₹9000/– का अन्तर माह 01/2017 में पाया गया है।

अतः रोकड़ बहियों में इस प्रकार की अनियमितताओं बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये इन्हें ठीक किया जाए ताकि रोकड़ बहियाँ पंचायत की वास्तविक वित्तीय स्थिति को परिलक्षित कर सके।

7 निर्धारित सीमा से अधिक नकद राशि का रखना:–

पंचायत की रोकड़ बहियों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट "5"** में दिए गए विवरणानुसार नकद राशि को निर्धारित सीमा से अधिक रखा था जोकि पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान, व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10 (3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमों के विपरीत हस्तगत राशि को रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

8 बजट प्राकलन तैयार न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राकलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत का बजट प्राकलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राकलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राकलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राकलन तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए एवं कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण पर अवगत कराया जाए।

9 पंचायत राजस्व की ₹0.30 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

पंचायत की स्व स्त्रोतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से जाँच करने एवं पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक पंचायत के राजस्व ₹29935/– की वसूली निम्नानुसार शेष थी।

(क) गृहकर

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष
2013–14	5120	11550	16670	13550	3120
2014–15	3120	24000	27120	2085	25035
2015–16	25035	24900	49935	37050	12885

(ख) दुकानों से किरायाः–

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष
2013–14	1425	4200	5625	2500	3125
2014–15	3125	4200	7325	1725	5600
2015–16	5600	4200	9800	2750	7050

(ग) मोबाईल टावरः–

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष
2013–14	–	4000	4000	2000	2000
2014–15	2000	4000	6000	–	6000
2015–16	6000	4000	10000	–	10000

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली करना शीघ्र सुनिश्चित की जाए।

10 **अनुदान ₹10.93 लाख का उपयोग न करनाः—**

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट—6** के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान ₹1092915.95 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ—साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वन्चित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम प्राधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

11 **प्राप्त अनुदानों से ₹1.63 लाख का अधिक व्ययः—**

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख व उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं की जाँच में पाया गया कि दिनांक 31.3.2016 तक ₹162604/— **"परिशिष्ट—6"** के अनुसार प्राप्त अनुदानों से अधिक व्यय कर दी गई थी, जबकि नियमों के अनुसार प्राप्त अनुदान राशि से अधिक व्यय नहीं किया जा सकता है एवं व्यय को प्राप्त अनुदान राशि तक ही सीमित किया जाना अपेक्षित था। अतः प्राप्त अनुदान राशि से अधिक किया गया व्यय ग्राम पंचायत द्वारा किस मद से किया गया था बारे स्थिति स्पष्ट करते हुये अधिक व्यय की गई राशि की प्रतिपूर्ति हेतु मामला सम्बन्धित विभाग से उठाकर अधिक व्यय की गई राशि की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

12 **निर्माण कार्यों के प्राकलन से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करनाः—**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000/— व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राकलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता था। ग्राम पंचायत के चयनित मासों के निर्माण कार्यों से सम्बन्धित व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में लाखों रूपये का व्यय विभिन्न विकासात्मक कार्यों पर किया गया है, किन्तु इन कार्यों की प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राकलन से सम्बन्धित अभिलेख जांच हेतु वर्तमान अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी कि यह सभी निर्माण कार्य प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने एवं प्राक्कलन तैयार करने उपरान्त किये गये हैं अथवा नहीं? अतः अंकेक्षण इन निर्माण कार्यों की प्रशासनिक व

तकनीकी स्वीकृति एवं प्राकलन से सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

13 रसीद बुकों में अभिलेखन कर ₹240/– रोकड़ बही में कम दर्शा कर बैंक में कम जमा करवाये जाने के सन्दर्भ में:–

ग्राम पंचायत नोहली द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख की जाँच में पाया गया कि निम्न वर्णित विवरणनुसार पंचायत द्वारा विभिन्न व्यक्तियों से गृहकर के रूप में राशि प्राप्त की गई थी, किन्तु इन रसीदों की कार्यालय प्रतियों में अधिलेखन/काट–छांट करके गृहकर की राशि को कम कर दिया गया था एवं यह कम राशि ही रोकड़ बही में दर्ज करने उपरान्त इनती ही राशि बैंक में जमा करवाई गई थी तथा शेष राशि को सम्बन्धित व्यक्ति/कर्मचारी द्वारा दुर्विनियोजित कर दिया गया है।

उक्त राशि केवल चयनित मास की है तथा यह राशि इससे अधिक होनें की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः इस सन्दर्भ में विभागीय स्तर पर जाँच करने उपरान्त इस राशि के अतिरिक्त अन्य राशि भी पाई जाती है तो उसकी गणना कर उक्त ₹240/– के अतिरिक्त उस राशि की वसूली भी दोषी से सुनिश्चित करते हुये अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	**नाम**	**रसीद संख्या**	**दिनांक**	**प्राप्त राशि**	**अधिलेखन कर लिखी गई राशि**	**रोकड़ बही में कम ली गई राशि**
1	भक्त राम	422047	24.2.16	60	30	30
2	रमेश चन्द	422048	24.2.16	60	30	30
3	ओम प्रकाश	422206	शून्य	60	30	30
4	माधो प्रसाद	422272	29.2.16	60	30	30
5	नारायण सिंह	422348	2.3.16	60	–	60
6	मनोहर लाल	422354	2.3.16	60	–	60
					योग	**240**

14 सामान्य रोकड़ बही (स्व स्त्रोत व विभिन्न अनुदान) में से ₹9000/– को 38 दिनों तक अनुचित रूप से हस्तगत रख कर अस्थाई रूप से दुर्विनियोजन करना:–

ग्राम पंचायत की स्व स्त्रोत व विभिन्न अनुदान से सम्बन्धित रोकड़ बही की जाँच में पाया गया कि तत्कालीन सचिव द्वारा दिनांक 11.01.2016 की कुल हस्तगत ₹12962/– में से ₹3110/– का व्यय (पृष्ठ संख्या 069) दर्शाया गया एवं शेष राशि में ₹9000/– को बैंक में जमा करवाया गया दर्शाया है किन्तु सम्बन्धित पास बुक की जाँच में पाया गया कि यह राशि बैंक में

दिनांक 17.2.2016 को जमा करवाई गई है। इस प्रकार सम्बन्धित सचिव द्वारा उक्त राशि को अनुचित रूप से 38 दिनों तक हस्तगत रख कर इसका अस्थाई दुर्विनियोजन किया गया जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

15 पंचायत उप प्रधान द्वारा ₹5410/– को अनुचित रूप से 14 माह तक हस्तगत रूप में रखनाः–

ग्राम पंचायत की स्व स्त्रोत व विभिन्न अनुदानों से सम्बन्धित रोकड़ बही की जाँच में पाया गया कि रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 002 अनुसार दिनांक 16.5.2013 को पंचायत उप प्रधान श्री अजीत सिंह के पास ₹5410/– हस्तगत शेष के रूप में थी, जिसे सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा दिनांक 01.7.2014 (पृष्ठ संख्या 33) को पंचायत में जमा करवाया गया था। इस प्रकार उनके द्वारा पंचायत निधि को लगभग 14 माह तक अपने पास अनुचित रूप से रखकर इस राशि का अस्थाई दुर्विनियोजन किया गया। इसके अतिरिक्त पंचायत उप प्रधान के पास हस्तगत राशि किस उद्देश्य हेतु दी गई थी, के बारे में भी वर्तमान अंकेक्षण में नहीं बताया गया। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

16 हस्तगत ₹2076.87 को अथशेष के रूप में आगे न ले जाकर उसका दुर्विनियोजन करने के सन्दर्भ मेंः–

ग्राम पंचायत की स्व स्त्रोत एवं विभिन्न अनुदान से सम्बन्धित रोकड़ बही की जाँच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में निम्न विवरणानुसार हस्तगत राशि को आगामी पृष्ठ पर कम ले जाया गया था अथवा नहीं ले जाया गया था जिस कारण अंकेक्षण अवधि में कुल ₹2076.87 को कम ले जाये जाने के कारण इस राशि को सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा दुर्विनियोजित कर लिया गया हैः–

(i) माह 09/2013 में हस्तगत राशि का योग ₹553.87 था, जिसे माह 10/2013 (पृष्ठ 013) में ₹235.87 दर्शाया गया एवं इस प्रकार ₹318/– कम हस्तगत राशि दर्शाई गई।

(ii) माह 12/2013 में कुल हस्तगत ₹821.87 (दिनांक 31.12.2013) को थी, जिसे दिनांक 01.01.2014 को ₹104/– (पृष्ठ–21) ही दर्शाया गया है एवं इस प्रकार ₹717.87 कम हस्तगत राशि माह 01/2014 में ले जाई गई है।

(iii) रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या 025 में दिनांक 19.3.2014 को योग की गलत गणना करने के कारण ₹231/– कम अन्त शेष दर्शाकर ₹231/– का दुर्विनियोजन किया गया है।

(iv) माह 08/2014 के अन्त में (पृष्ठ संख्या 37) सचिव के पास ₹706/– हस्तगत राशि थी, जिसे रोकड़ बही में माह 09/2014 में शून्य दर्शाकर इस राशि का दुर्विनियोजन किया गया।

(v) माह 01/2015 (पृष्ठ–45) में हस्तगत ₹324/–दर्शाई गई है, जबकि माह 12/2014 के अन्त में यह ₹329/– थी। इस प्रकार ₹5/– कम हस्तगत राशि आगे ले जाई गई है।

(vi) माह 02/2015 के अन्त में कुल शेष ₹364807.39 थी, जिसे माह 03/2015 में ₹364708.39 (पृष्ठ 50) दर्शाकर ₹99 का दुर्विनियोजन किया गया है।

अतः उपरोक्त दिये गये विवरणानुसार सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा ₹2076.87 (318+717.87+231+706+5+99) रोकड़ बही में कम दर्शाकर इस राशि को दुर्विनियोजित कर लिया गया है, जिसकी वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से करने उपरान्त जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

17 वाटरशैड (IWMP) द्वारा प्राप्त अनुदान ₹1.22 लाख को रोकड़ बही में दर्ज न करनाः–

ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त अनुदान राशियों की रोकड़ बहियों से जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा वाटरशैड के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान ₹122450/–(₹92450 दिनांक 15.3.2016 एवं ₹30000 दिनांक 16.3.2016) को रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया है, जिस कारण पंचायत की उक्त रोकड़ बही पंचायत की वास्तविक वित्तीय स्थिति को परिलक्षित नहीं करती है। अतः इन अनुदान राशियों को रोकड़ बही में दर्ज न करने बारे स्थिति स्पष्ट करते हुये इन राशियों को अविलम्ब रोकड़ बही में दर्ज किया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

18 मजदूरों को किये गये भुगतान ₹0.67 लाख के कार्य से सम्बन्धित माप पुस्तिका अंकेक्षण में प्रस्तुत न करनाः–

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख की जाँच में पाया गया कि वाटर शैड की रोकड़ बही अनुसार अंकेक्षण अवधि के चयनित मासों में मजदूरों को ₹67308/– का भुगतान निम्नविवरणानुसार किया गया हैः'–

क्र0सं0	वा0 क्रमांक	दिनांक	कार्य का नाम	मस्ट्रोल क्रमांक	अवधि	राशि (₹)
1	08	6.5.14	निर्माण हैण्ड वाल लाहरी नाला	22027	06.3.14 से 31.3.14	14928
2	09	6.5.14	निर्माण डावर्सन वाल लाहरी नाला से छोटा छो नाला	018001	11.4.14 से 30.4.14	12804
3	10	6.5.14	निर्माण कूहल छो नाला से त्रैम्बली	22026	05.1.14 से 31.1.14	11004
4	11	6.5.14	निर्माण डायवर्जन वाल भोलू नाली सरोझ	018003	06.03.14 से 31.3.14	15786

5	12	6.5.14	–यथोपरि– कार्य			5526
6	13	6.5.14	निर्माझा कूहल लाहरी नाला	22018	06.03.14 से 31.3.14	7260
					योग	**67308**

पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा मजदूरों को किये गये उपरोक्त भुगतान की कार्य प्रगति से सम्बन्धित माप पुस्तिकायें अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं की गई, जिसके अथवा में मजदूरों द्वारा किये गये कार्य की प्रगति एवं वास्तव में किये गये कार्य हेतु इतनी मजदूरी देय थी अथवा नहीं? की जाँच वर्तमान अंकेक्षण में नहीं की जा सकी। अतः इन व्यय वाउचरों द्वारा किये गये भुगतान से सम्बन्धित माप पुस्तिकायें आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित की जाए ताकि उनकी तदानुसार जाँच की जा सके।

19 औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ₹2.58 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) एवं 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर को क्रय करने की औपचारिकतायें प्रावधित है। ग्राम पंचायत के चयनित मासों के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्नलिखित विवरण अनुसार ₹257983/– के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ही किया गया है। इसके अतिरिक्त जाँच में यह भी पाया गया कि पंचायत द्वारा क्रय सामान की न तो स्कंध प्रविष्टियाँ की गई है एवं न ही उनके आगामी निपटारे से सम्बन्धित अभिलेख का रख रखाव किया गया था जिसके अभाव में यह क्रय नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने एवं उसकी प्राप्ति व निर्गम से सम्बन्धित प्रविष्टियाँ अभिलेख में न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर क्रय सामान की प्राप्ति एवं निर्गम प्रविष्टियाँ कर इसे नियमित करवाया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

क्र0 सं0	रोकड़ बही का विवरण	फर्म/विक्रेता का विवरण	बिल सं0	दिनांक	वा0सं0	दिनांक	राशि (₹)	क्रय सामान का विवरण
1	मनरेगा	प्रकाश चन्द, चनेहड़ बिहूँ	592	15.12.13	189	01.01.14	4950	रेत 110 cft
2	मनरेगा	धर्मपाल गाँव सोहण	268	26.12.13	190	03.01.14	9600	रेत 100 cft
3	मनरेगा	मै0 चामुण्डा सीमेन्ट स्टोर	069	01.01.14	191	03.01.14	3075	बजरी 100 cft
4	मनरेगा	तोता राम, बनोग	–	–			4800	पाईप+ईंट पत्थर 1200 नं0
5	मनरेगा	रेलू राम गाँव कस	–	–			9680	रेत+बजरी 440 टोन

6	मनरेगा	चन्द्रमणी गाँव बसेहड़	–	–	199	02.10.15	4000	पत्थर
7	मनरेगा	हि0प्र0 सिविल सप्लाई कार्पोरेशन	0077551	26.8.15	228	28.10.15	38850	सीमेन्ट
8	वाटर शैड	मोहन सिंह, नोहली	–	–			14220	रेत, बजरी 316 cft
9	वाटर शैड	मंगत राम, नोहली	–	–	20	4.01.14	8500	पत्थर 1700 नं0
10	वाटर शैड	प्रकाश हार्डवेयर बिहूँ	042	26.12.13			4567	स्टील 98.4 Kg
11	वाटर शैड	गुरध्यान सिंह बटधार	–	–	22	4.01.14	7500	पत्थर तुड़ाई 1500 नं0
12	वाटर शैड	काश्मीर सिंह, कासन	–	–	23	4.01.14	18750	पत्थर 1700 नं0
13	वाटर शैड	प्रकाश हार्डवेयर, बिहूँ	041	26.12.13	24	4.01.14	4567	स्टील 98.4 कि0ग्रा0
14	वाटर शैड	ब्यास बीज भण्डार भुन्तर	878	06.01.14	25	4.01.14	39514	आलू बीज 917 कि0ग्रा0
15	वाटर शैड	राम सिंह, नोहली	–	–	14	6.5.14	3725	पत्थर 745 नं0
16	वाटर शैड	राम सिंह, नोहली	–	–	15	6.5.14	10415	पत्थर 2083 नं0
17	वाटर शैड	गोबिन्द राम, गलमाठा	–	–	16	6.5.14	9925	पत्थर पुड़ाई
18	वाटर शैड	गोबिन्द राम, गलमाठा	–	–	16 (a)	6.5.14	8475	वत्थर 1695 नं0
19	विभिन्न अनुदान (बी)	गुलाब सिंह, मनारू	–	–	17	26.10.15	3000	शटरिंग
20	–यथोपरि–	मै0 हिमाचल आयरन स्टोर कोटली (केवल दो निविदायें प्राप्त)	1665	16.10.15	18	26.10.15	49870	एन्गल, जाली पैन्ट आदि
						योग	**257983**	

20 श्री गोबिन्द राम पंचायत सहायक को यात्रा भत्ता के रूप में ₹624/– की अधिक अदायगीः–

पंचायत की स्व स्त्रोत व विभिन्न अनुदान की रोकड़ बही में वर्ष 2014–15 के चयनित मास के व्यय वाउचर संख्या 7 दिनांक 21.5.2014 की जाँच में पाया गया कि श्री गोबिन्द राम, पंचायत सहायक द्वारा दिनांक 20.9.2013 से 28.02.2014 तक के यात्रा भत्ता का बिल ₹2880/– की निकासी की गई है। जाँच में पाया गया कि उक्त कर्मचारी द्वारा उक्त अवधि में कुल पन्द्रह दिनों का दैनिक भत्ता ₹130/– प्रति दिन की दर से प्राप्त किया गया है, जबकि उनके द्वारा इन सभी दिनों में मुख्यालय छोड़ने का समय सुबह 9:00 बजे एवं वापसी मुख्यालय में पहुँचने का

समय शाम 6:00 बजे दर्शाया गया है। इस प्रकार उन्हें इन पन्द्रह दिनों में दैनिक भत्ता (DA) पूरे दिन का देय न होकर 75**%** ही नियमानुसार देय था।

अतः उनके द्वारा दैनिक भत्तो के रूप में प्राप्त अधिक ₹624/– (15x39)38 % of ₹130) की वसूली शीघ्र सुनिश्चित करते हुये इस राशि को पंचायत निधि में जमा करवाया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

21 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 एवं अन्य विविध नियमों के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	रजिस्टर का प्रकार/विवरण	प्रारूप	सन्दर्भित नियम
1	विविधानों के लिए रजिस्टर	1	12 (1), 27 (1)
2	रसीद बहियों का स्टॉक रजिस्टर	4	13 (5)
3	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
4	प्रकीर्ण माँग व संग्रहण रजिस्टर	10	33, 77 (4)
5	बजट प्राक्कलन	11, 12	37, 38
6	स्टॉक रजिस्टर	25	72 (1)
7	लेखन सामग्री रजिस्टर	28	72 (1) (घ)
8	मुद्रित सामग्री का स्टॉक रजिस्टर	27	72 (1) (ग)

22 प्रत्यक्ष सत्यापनः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है जिसके बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

23 विविधः–

(क) पंचायत द्वारा निर्माण कार्य "भूमि सुधार प्रीतम सिंह" (मनरेगा) में वाउचर संख्या 197 दिनांक 08.1.2014 मस्ट्रोल संख्या 5998 दिनांक 21.12.2013 से 03.01.2014 में कुल 130 कार्य दिवसों का भुगतान ₹138/– प्रति कार्य दिवस की दर से ₹17940 का दर्शाया गया है। मस्ट्रोल की जाँच में पाया गया कि योग में कुल कार्य दिवस 129 ही बनते है। इस प्रकार एक कार्य दिवस का अधिक

भुगतान किया गया है, जिसकी वसूली दोषी कर्मचारी से करने उपरान्त सम्बन्धित निधि में इस राशि को जमा करवाया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ख) ग्राम पंचायत की मनरेगा रोकड़ बही की जाँच मे पाया गया कि दिनांक 31.3.2013 को रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या 219 अनुसार अन्तशेष (–)₹222941/– दर्शाया गया है, जबकि पृष्ठ संख्या 222 में दिनांक 01.4.2013 को उक्त रोकड़ बही का अथशेष ₹13915/– दर्शाया गया है। अतः इस प्रकार पंचायत की रोकड़ बही में दिनांक 01.4.2013 को प्रारम्भिक शेष में (–)₹209026 का अन्तर है। रोकड़ बही के रख रखाव में इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करते हुये अविलम्ब इस राशि को रोकड़ बही में लिया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

24 लघु आपत्ति विवरणिकाः– यह अलग से जारी नहीं की गई है।

25 निष्कर्षः– लेखों के रख रखाव में अत्यन्त सुधार की आवश्यकता के अतिरिक्त रोकड़ बहियों के रख रखाव में नियमों की अनुपालना सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(8)/2017–खण्ड–1– 899–902 दिनाँकः 09.02.2017
शिमला–171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत 1 सचिव, ग्राम पंचायत नोहली, विकास खण्ड द्रंग, तहसील द्रंग, जिला मण्डी, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, मण्डी, जिला मण्डी, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड द्रंग, तहसील द्रंग, जिला मण्डी, हि0प्र0

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.